झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 4655 वर्ष 2017

1. मोहर यादव

2. भुनेश्वर यादव ... . याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. प्रमोद यादव

2. गणेश यादव

3. सरजू यादव

4. जगदम महतो .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ताओं के लिए: श्री तेजो मिस्त्री, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:

आदेश सं0 04 **दिनांकः 04.01.2021**

वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

वर्तमान रिट याचिका सिविल जज (सीनियर डिवीजन) संख्या–II, रामगढ़ द्वारा दिनांक 18.05.2017 को स्वतत्व वाद संख्या 11 वर्ष 2012 में पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दं0प्र0सं0 के आदेश XXXIX

नियम 1 (सी) के तहत अस्थायी व्यादेश देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादी/याचिकाकर्त्ताओं ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधिकार, स्वत्व, हित और कब्जे की पुष्टि के लिए, कुछ पंजीकृत पट्टों को रद्द करने के लिए और वाद सम्पत्ति में प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं के विरूद्ध स्वत्व वाद संख्या 11 वर्ष 2012 दायर किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि मौजा–महालीडीह, थाना–गोला, थाना संख्या–63, जिला–हजारीबाग (अब रामगढ़) में 18.72 एकड़ क्षेत्रफल की जमीन याचिकाकर्त्ताओं के पूर्वजों के नाम पर दर्ज है, यद्यपि, प्रतिवादीगण/उत्तरदाताओं अपने पिता सहित, जो 5.60 एकड़ क्षेत्रफल की जमीन के सम्बन्ध में अर्ध–बटाईदार थे, ने यह दावा किया है कि उक्त सम्पत्ति को दर्ज रैयतों में से एक खुदवा अहीर की पत्नी खागो देवी से उनके पूर्वजों द्वारा खरीदी गई है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रतिवादियों के बिक्रेता को उक्त भूमि को हस्तांतरित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था क्योंकि अपने पति की मृत्यु के पश्चात् वह एक अन्य व्यक्ति मनु गोप से पुनर्विवाह कर ली थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्त्तागण, इस संदेह के साथ कि प्रतिवादीगण वाद सम्पत्ति को बेच सकते हैं या अपने घर का निर्माण कर सकते हैं ताकि वाद सम्पत्ति से याचिकाकर्त्ताओं को बेदखल किया जा सके, उन्होनें अस्थायी व्यादेश देने और वाद सम्पत्ति को बेचने के साथ–साथ उस पर निर्माण करने से रोकने केलिए दं0प्र0सं0 के आदेश संख्या XXXIX नियम 1 (सी) के अन्तर्गत एक याचिका दायर किया। यद्यपि निम्न न्यायालय ने यह संप्रेक्षण करते हुए

कि याचिकाकर्त्ताओं ने वाद को प्रथम दृष्टया अपने पक्ष में दिखलाने में असफल रहे हैं क्योंकि सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में नहीं था। निम्न न्यायालय ने यह विवेचन करने में असफल रहा है कि खागो देवी द्वारा निष्पादित बिक्रय विलेख प्रारम्भ से शुन्य था क्योंकि वह संतान विहिन थी और अपने पति के मृत्यु के पश्चात् वह एक अन्य व्यक्ति से पुनर्विवाह कर ली। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्त्ता अभी भी झारखण्ड सरकार को लगान दे रहा है। इस प्रकार, निम्न न्यायालय ने यह विवेचना करने में असफल रहा है कि वाद का विषय वस्तु याचिकाकर्त्ताओं का पैतृक सम्पत्ति है।

3. जैसा कि हो सकता है, याचिकाकर्त्ताओं ने अंदेश XXXIX नियम 1 (सी) सी0पी0सी0 के तहत निम्न न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए वर्ष 2017 में वर्तमान रिट याचिका को दायर की है, हालांकि, उन्होनें इस न्यायालय के कार्यालय द्वारा बताए गए दोषों को दूर करने के लिए 3 वर्षों से अधिक तक कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश, आदेश XLIII नियम 1 (आर) सी0पी0सी0 के तहत एक अपील योग्य है, जिसके खिलाफ याचिकाकर्त्ता अपील दायर कर सकते थे, हालांकि वे सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष चले आये।

4. विरूधुनगर हिंदू नादरगल धर्म परिबलाना सबई और अन्य बनाम् तूतीकोरिन एजुकेशन सोसायटी और अन्य ''(2019) 9 एस0सी0सी0 538 में रिपोर्ट की गई, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः—

13. इसलिए जहां भी कार्यवाही, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत होती है और फोरम सिविल कोर्ट होता है, सी0पी0सी0 के तहत एक उपाय की उपलब्धता, उच्च न्यायालय को न केवल स्व–लगाए गए प्रतिबंध के उपाय के रूप में, बल्कि एक मामले के अनुशासन और विवेक के रूप में रोक देगी। इसलिए, संविधान के तहत अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के तहत विशेष रूप से ऐसे मामले में पुनरीक्षण को सुनने हेतु इच्छुक नहीं रहना चाहिए जहां अपील का एक विशिष्ट उपाय दिवानी प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किया जाता है।

5. उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, रिट याचिका को पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)